न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 49/2021

1 रामस्वरूप उम्र 78 साल पुत्र स्व. मामचन्द जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 अमीलाल उम्र 71 साल पुत्र स्व. मामचन्द जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 ताराचन्द उम्र 78 साल पुत्र स्व. खगाराम जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 मोहर सिंह उम्र 68 साल पुत्र स्व. खगाराम जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
3 औमप्रकाश उम्र 73 साल पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
4 सहीराम उम्र 60 साल पुत्र स्व. सरदाराराम जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
5 उमराव उम्र 62 साल पुत्र स्व. दोदराम जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
6 जगदीश उम्र 78 साल पुत्र स्व. मामचन्द जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
7 श्रीमती समन्दर देवी उम्र 65 साल पत्नी स्व विधाधर जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
8 धीर सिंह उम्र 45 साल पुत्र स्व. विधाधर जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

9 नरेश उम्र 40 साल पुत्र स्व. विधाधर जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

10 मनीश उम्र 38 साल पुत्र स्व. विधाधर जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

11 मु. विनोद उम्र 35 साल पुत्री स्व विधाधर जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

12 श्रीमती मिश्रो उम्र 55 साल पुत्री सुरजाराम पत्नी महेन्द्र

13 श्रीमती संतोष उम्र 45 साल पुत्री स्व. सुरजाराम पत्नी दलीप

समस्त जाति जाट निवासीगण नागलिया तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

14 रामसिंह उम्र 65 साल पुत्र स्व. देवकरण

15 सुरेन्द्र उम्र 50 साल पुत्र स्व. देवकरण

समस्त जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

16 श्रीमती संतरो उम्र 55 साल पुत्री स्व देवकरण पत्नी नन्दलाल

17 श्रीमती कणीया उम्र 54 साल पुत्री स्व देवकरण पत्नी हरलाल

समस्त जाति जाट निवासी देलवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

18 श्रीमती शान्ति उम्र 54 साल पुत्री स्व देवकरण पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी फरट तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

19 श्रीमती सुशीला उम्र 56 साल पत्नी स्व. सुभाष पुत्र स्व रामेश्वर

20 विकाश उम्र 36 पुत्र स्व सुभाष पुत्र स्व. रामेश्वर

21 राकेश उम्र 33 साल पुत्र स्व. सुभाष पुत्र स्व. रामेश्वर

समस्त जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

22 मु. मन्जू उम्र 41 साल पुत्री स्व. सुभाष स्त्री राकेश जाति जाट हाल निवासी देलवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

23 मु. सन्जू उम्र 37 साल पुत्री स्व. सुभाष पत्नी अनिल जाति जाट निवासी देलवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

24 मु. बल्ला उम्र 31 साल पुत्री स्व. सुभाष स्त्री भूपेश जाति जाट निवासी चिण्डालिया तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

25 सुरेश उम्र 52 साल पुत्र स्व. रामेश्वर जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

26 श्रीमती मधु उम्र 51 साल पुत्री स्व. रामेश्वर पत्नी तनवीर जाति जाट निवासी बाजला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

27 शकुन्तला उम्र 50 साल पुत्री स्व. रामेश्वर पत्नी बलवान जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

28 मुन्नी उम्र 50 साल पुत्री स्व. रामेश्वर पत्नी धर्मेन्द्र जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

29 श्रीमती जैता उम्र 77 साल पुत्री स्व. खगाराम पत्नी बनवारी लाल जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।

30 श्रीमती सुमित्रा उम्र 57 साल पुत्री स्व. सरदाराराम पत्नी धर्मवीर

31 श्रीमती तुलसी उम्र 55 साल पुत्री स्व. सरदाराराम पत्नी महेन्द्र

जाति जाट निवासीगण ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

32 श्रीमती सावित्री उम्र 63 साल पुत्री स्व. दोदराम पत्नी काशीराम जाति जाट निवासी ढाढोत तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

33 शारदा उम्र 57 साल पुत्री स्व. दोदराम पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी नारनौद तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

34 रोशनी उम्र 50 साल पुत्र स्व. दोदराम पत्नी केशर जाति जाट निवासी नारनोद तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

35 एसबीबीजे बैंक (भारतीय स्टेट बैंक) शाखा सूरजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

36 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ उनवानी ताराचन्द बनाम रामस्वरूप वगै. दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मु. नम्बर 150/2017

उपस्थिति :

1. श्री राकेश वर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फूलचन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 10.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 150/2017 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने एक वाद घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 134 से बने गत खसरा नम्बर 134/1 व गत खसरा नम्बर 134/2 से बने हाल खसरा नम्बर 54, 55, 58 वाके ग्राम झाझड़ियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ का पेश किया। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने केवल अपने फायदे के लिय राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 134/2 का ही पेश किया व खसरा नम्बर 134/1 का वही राजस्व रिकार्ड विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जिससे उन्हें फायदा पहुंचता हो उसी गलत राजस्व रिकार्ड को पेश कर विचारण न्यायालय से दिनाक 22.06.2021 को विधि विरूद्ध आदेश पारित करवा लिया जो चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 120 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने पेश नहीं किया जो कि वाद पत्र के निर्णय करने में अहम दस्तावेज था क्योंकि नामान्तकरण संख्या 120 में मामचन्द पुत्र दुला जाति जाट के खसरा नम्बर 134/1 का कुल रकबा 5 बिघा 18 बिश्वा दर्ज है उक्त नामान्तकरण को राजस्व अधिकारियों ने जमाबन्दी में सही दर्ज नहीं किया। इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने विचारण न्यायालय से छुपाया है व वाद पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश कर अपीलान्ट के खिलाफ गलत निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2021 पारित करवायी है। पत्रावली की आदेशिकाओं में कही पर भी अपीलान्ट की तामील किस प्रकार से हुई है दर्ज नहीं है तथा न ही अपीलान्ट ने प्रकरण में कोई अधिवक्ता नियुक्त किया है अपीलान्ट को वाद पत्र की कोई जानकारी नही रही है। अपीलान्ट ने अधिवक्ता श्री रोनक हलवान को कभी नियुक्त नहीं किया है न्यायालय श्रीमान ने अपीलान्ट के विरूद्ध गलत व अवैध कार्यवाही के कारण दिनांक 22.06.2021 को निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जो न्यायालय श्रीमान ने मनमाने तौर पर कार्यवाही करते हुये उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। न्यायालय श्रीमान की गलत व अवैध कार्यवाही के कारण व अधिवक्ता श्री रोनक हलवान भूल व गलती की वजह से अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 22.06.2021 को निर्णय व डिक्री पारित हो गई। उक्त डिक्री पारित करने से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

पूर्व न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। न्यायालय ने प्रकरण में अपीलान्ट को बिना सुने बिना किसी नोटिस जारी किये गलत तरीके से विधि विरूद्ध डिक्री पारित की जो डिक्री कायम रहने से अपीलान्ट सख्त हकतलफी हो रही है तथा अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है इसलिये उक्त प्रकरण में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2021 को अपास्त किया जाना न्यायोचित है एवं पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेकर अपीलान्ट को समुचित जवाब देही व सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2021 की जानकारी 28.06. 2021 से पूर्व में नही थी। रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 ने दिनांक 24.06.2021 कि शाम को अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि पर एकराय होकर कब्जा करने की कोशिश की तो अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 का मौका कब्जा नहीं होने दिया। अपीलान्ट को धमकी दी कि हमने विचारण न्यायालय से यह जमीन हमारे नाम करवा ली है कब्जा तो प्रशासन के द्वारा प्राप्त कर लेगें। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक में भी स्पष्ट लिया हुआ कि प्रतिवादी नम्बर 2 ने अधिवक्ता रोनक हलवान का ही हवाला दिया हुआ अपीलान्ट जो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा में प्रतिवादी नम्बर 1 व 3 है का हवाला कही नहीं दिया हुआ कि अपीलान्ट विचारण न्यायालय के समक्ष कब उपस्थित हुये या इनकी तामील किस तरह हुई इसलिये भी विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही दुषित एंव मैलाफाइड होने के कारण उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वाके ग्राम झाझडियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा से बने गत खसरा नम्बर 134/1 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा व गत खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 134/2 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा से दौराने भू–प्रबन्ध बने हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.81 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 55 रकबा 0.79 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 58 रकबा 2.93 है. है। साबिक गत खसरा नम्बर 134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा में से तात्कालीन ठिकाना से रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा भूमि श्योनारायण पुत्र बोयतराम ने व शेष रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा कृषि भूमि मामचन्द पुत्र दुला के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। इस प्रकार जमीन गत खसरा नम्बर 134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा की भूमि में से रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा का खातेदार काश्तकार श्योनारायण पुत्र बोयतराम बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ। जिसके गत खसरा नम्बर 134/2 रकबा 6 बीघा 7 कायम हुये। ओर रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा का खातेदार काश्तकार उक्त मामचन्द पुत्र दुला बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ। जिसके गत खसरा नम्बर 134/1 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा कायम हुये। इस प्रकार उक्त श्योनारायण की खातेदारी की कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 134/2 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा दर्ज हुई। मामचन्द की खातेदारी की कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 134/1 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा दर्ज हुई। उक्त श्योनारायण अपनी कृषि भूमि को अपने जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहा और राजस्व रिकार्ड में भी सम्वत 2035 तक सही दर्ज होती रही। दौराने भू–प्रबन्ध राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गत खसरा नम्बर 134/2 रकबा 6 बीघा 17 बिश्वा से हाल खसरा नम्बर 55 रकबा 0.79 है. ही उक्त श्योनारायण की खातेदारी में दर्ज किया जबकि गत खसरा नम्बर 134/2 का मैट्रिक प्रणाली से रकबा 1.60 हैक्टेयर बनता है तथा रकबा 0.81 हैक्टेयर को गलती से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गत खसरा नम्बर 134/1 से बनना मिलान क्षेत्रफल में दर्शित किया। नक्शा सीट व गत खसरा नम्बर 134/1 व 134/2 की गणना करने पर गत खसरा नम्बर 134/2 से हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.81 है0 बनता है और गत खसरा नम्बर 134/1 का मैट्रिक प्रणाली से रकबा 1.33 है. बनता है जिसमें हाल खसरा नम्बर 56 रकबा 0.02 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 58 में 1.31 है. जमीन शामिल हुई है। इस प्रकार रकबा 1.33 हैक्टेयर जमीन गत खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

134/1 से हाल खसरा नम्बर 56 व 58 में ही पूरी हो जाती है। गत खसरा नम्बर 134/1से हाल खसरा नम्बर 54 बनना संभव ही नहीं है। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 134/1 से हाल खसरा नम्बर 54 बनना गलत दर्ज किया है। गत खसरा नम्बर 134/2 से बना है। इस प्रकार उक्त गलत रिकार्ड दर्ज करने पर भू–प्रबन्ध ने गलती से हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.81 है. उक्त मामचन्द पुत्र दुल्ला की खातेदारी में दर्ज कर दी। श्योनारायण की खातेदारी में दर्ज करनी चाहिए थी। भू–प्रबन्ध विभाग को किसी की खातेदारी खत्म करने व खातेदारी देने का अधिकार नहीं था। भू–प्रबन्ध को सिर्फ राजस्व रिकार्ड की पुनरावृति करनी थी। निश्चित रूप से हाल खसरा नम्बर 54 का रकबा 0.81 है. बिना किसी आधार पर प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। जबकि वादीगण की खातेदारी में रकबा कम दर्ज किया गया है। साबिक व हाल नक्शे को सुपर इम्पॉज करके देखने पर भी साबिक खसरा नम्बर 134/2 का रकबा हाल खसरा नम्बर 55 में मिलाया गया है। 55 का रकबा व नक्शा छोटा बनाया गया है जबकि खसरा नम्बर 54 को मिलने पर खसरा नम्बर 55 रकबा सही बनता है। वादीगण ने अपने को महत्वपुर्ण व सुसंगत प्रमाणित दस्तावेजों से साबित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम झाझडियों की ढाणी तहसील सूरजगढ़ में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा से बने गत खसरा नम्बर 134/1 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा व गत खसरा नम्बर 134/2 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा से दौराने भू–प्रबन्ध बने हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.81 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 55 रकबा 0.79 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 58 रकबा 2.93 है. है। साबिक गत खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा में से तात्कालीन ठिकाना से रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा भूमि श्योनारायण पुत्र बोयतराम ने व शेष रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा कृषि भूमि मामचन्द पुत्र दुला के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। इस प्रकार जमीन गत खसरा नम्बर 134 रकबा 11 बीघा 12 बिश्वा की भूमि में से रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा का खातेदार काश्तकार श्योनारायण पुत्र बोयतराम बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ। जिसके गत खसरा नम्बर 134/2 रकबा 6 बीघा 7 कायम हुये। ओर रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा का खातेदार काश्तकार उक्त मामचन्द पुत्र दुला बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ। जिसके गत खसरा नम्बर 134/1 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा कायम हुये। इस प्रकार उक्त श्योनारायण की खातेदारी की कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 134/2 रकबा 6 बीघा 7 बिश्वा दर्ज हुई। मामचन्द की खातेदारी की कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 134/1 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा दर्ज हुई। उक्त श्योनारायण अपनी कृषि भूमि को अपने जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहा और राजस्व रिकार्ड में भी सम्वत 2035 तक सही दर्ज होती रही। दौराने भू–प्रबन्ध राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गत खसरा नम्बर 134/2 रकबा 6 बीघा 17 बिश्वा से हाल खसरा नम्बर 55 रकबा 0.79 है. ही उक्त श्योनारायण की खातेदारी में दर्ज किया जबकि गत खसरा नम्बर 134/2 का मैट्रिक प्रणाली से रकबा 1.60 हैक्टेयर बनता है तथा रकबा 0.81 हैक्टेयर को गलती से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने गत खसरा नम्बर 134/1 से बनना मिलान क्षेत्रफल में दर्शित किया। नक्शा सीट व गत खसरा नम्बर 134/1 व 134/2 की गणना करने पर गत खसरा नम्बर 134/2 से हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.81 है0 बनता है और गत खसरा नम्बर 134/1 का मैट्रिक प्रणाली से रकबा 1.33 है. बनता है जिसमें हाल खसरा नम्बर 56 रकबा 0.02 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 58 में 1.31 है. जमीन शामिल हुई है। इस प्रकार रकबा 1.33 हैक्टेयर जमीन गत खसरा नम्बर 134/1 से हाल खसरा नम्बर 56 व 58 में ही पूरी हो जाती है। गत खसरा नम्बर 134/1से हाल खसरा नम्बर 54 बनना संभव ही नहीं है। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 134/1 से हाल खसरा नम्बर 54 बनना गलत दर्ज किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

है। गत खसरा नम्बर 134/2 से बना है। इस प्रकार उक्त गलत रिकार्ड दर्ज करने पर भू–प्रबन्ध ने गलती से हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.81 है. उक्त मामचन्द पुत्र दुल्ला की खातेदारी में दर्ज कर दी। श्योनारायण की खातेदारी में दर्ज करनी चाहिए थी। भू–प्रबन्ध विभाग को किसी की खातेदारी खत्म करने व खातेदारी देने का अधिकार नहीं था। भू–प्रबन्ध को सिर्फ राजस्व रिकार्ड की पुनरावृति करनी थी। निश्चित रूप से हाल खसरा नम्बर 54 का रकबा 0.81 है. बिना किसी आधार पर प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। जबकि वादीगण की खातेदारी में रकबा कम दर्ज किया गया है। साबिक व हाल नक्शे को सुपर इम्पॉज करके देखने पर भी साबिक खसरा नम्बर 134/2 का रकबा हाल खसरा नम्बर 55 में मिलाया गया है। 55 का रकबा व नक्शा छोटा बनाया गया है जबकि खसरा नम्बर 54 को मिलने पर खसरा नम्बर 55 रकबा सही बनता है। वादीगण ने अपने को महत्वपुर्ण व सुसंगत प्रमाणित दस्तावेजों से साबित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर